DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली, 13 मई, 2022 दैनिक जागरण 11

www.jagran.com

दिल्ली जागरण

कूड़े का पहाड़ ढहने से दो की मौत के मामले में 25 लाख मुआवजा तय

सितंबर 2017 में गाजीपुर लैंडफिल साइट पर हुआ था हादसा

आशीष गुप्ता● पूर्वी दिल्ली

गाजीपुर लैंडफिल साइट से कूड़े का पहाड़ ढहने से हिंडन नहर में गिरकर डूबने से हुई दो लोगों की मौत के मामले में कोर्ट ने मुआवजा तय किया है। मृतक अभिषेक गौतम के माता-पिता को 15 लाख रुपये और मृतका राजकुमारी के पिता को 10 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। अतिरिक्त जिला जज विजय कुमार झा के कोर्ट ने आदेश में कहा है कि दिल्ली सरकार और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को वाद दायर होने की तिथि से नौ प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ मुआवजा राशि का भुगतान करना होगा।

एक सितंबर 2017 को दोपहर करीब ढाई बजे गाजीपुर लैंडफिल साइट से कूड़े का पहाड़ अचानक ढह गया था। उस समय बारिश हो रही थी। लैंडफिल साइट से सटी सर्विस रोड से गुजर रहे कई लोग कूड़े के साथ हिंडन नहर में जा गिरे थे। इनमें घड़ोली एक्सटेंशन राजीव कालोनी गली नंबर-एक में रहने वाले अभिषेक गौतम और गाजियाबाद की खोड़ा कालोनी में रहने वाली राजकुमारी की हिंडन नहर में डूबने से मौत हो गई थी। हादसे के वक्त अभिषेक घर से दोस्त के साथ गाजीपुर मंडी की तरफ जा रहे थे। राजकुमारी स्कूटी पर किसी के साथ जा रही थीं। वर्ष 2018 में मृतक अभिषेक के पिता महिपाल सिंह और मां राम मूर्ति ने वाद दायर कर 15 लाख रुपये मुआवजा मांगा था। मृतका राजकुमारी के पिता तारा चंद ने 10 लाख रुपये मुआवजे के लिए वाद दायर किया था। इस मामले में लैंडफिल साइट के रखरखाव में लापरवाही के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उचित निगरानी न रखने के लिए दिल्ली सरकार को प्रतिवादी बनाया गया था।

वादियों की तरफ से अधिवक्ता हितेश भारद्वाज ने पक्ष रखा था कि हादसे में मौत निगम की लापरवाही से हुई है। हादसे के वक्त कूड़े का पहाड़ 50 मीटर से ज्यादा ऊंचा था, जबकि नियमानुसार उसकी ऊंचाई 20 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही पक्ष रखा कि मृतक अभिषेक दूरस्थ शिक्षा से स्नातक की पढ़ाई करने के साथ नौकरी कर रहा था। इस हादसे से मृतक के स्वजन को मानसिक और आर्थिक आघात पहुंचा है। अभिषेक बुढ़ापे में उनके जीवन का सहारा बनता। इसी तरह मृतका राजकुमार के बारे में बताया कि वह गुरुग्राम की कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी करती थीं। दिसंबर 2017 में उनकी शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारी चल रह थी।

उधर, नगर निगम ने कोर्ट में पक्ष रखा कि यह हादसा किसी की लापरवाही से नहीं हुआ, बल्कि बारिश की वजह से पानी के बहाव के साथ कूड़ा ढहने की वजह से हुआ था। निगम के पक्ष मे इसे प्राकृतिक या संयोग से हुआ हादसा करार देने के अलावा आपदा को संज्ञा दी गई। प्रतिवादियों ने मृतकों के स्वजन के मुआवजे के दावे को निराधार बताते हुए कोर्ट में कहा कि दोनों परिवारों को दिल्ली सरकार दो-दो लाख रुपये और निगम की तरफ से एक-एक लाख रुपये मुआवजा दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त मृतकों के कानूनी वारिस को अस्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव भी दिया गया था। सभी पक्षों व तथ्यों पर कोर्ट ने माना कि हादसा निगम की लापरवाही से हुआ था। इस पर कोर्ट ने अभिषेक गौतम के मामले में 15 लाख रुपये और मृतका राजकुमारी के मामले में 10 लाख रुपये मुआवजा निर्धारित कर दिया। पांच-पांच हजार रुपये मुकदमेबाजी खर्च के देने होंगे।

बीस सालों से भूमि स्वामी मांग रहे जमीन, जो नहीं मिल रही

नगर निगम ने कोर्ट में पक्ष रखा कि बीस सालों से भूमि स्वामी एजेंसी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित करने के लिए जमीन की मांग कर ही है, जो कोर्ट के निर्देशों के बावजूद उपलब्ध नहीं हो पा रही। इन परिस्थितियों के कारण निगम गाजीपुर लैंडफिल साइट पर ही कूड़ा डालने को मजबूर है।

मेरी बेटी ही मेरा सहारा थी। उसके चले जाने के बाद मैं दुनिया में अकेला रह गया हूं। मुझे अफसोस रहेगा कि मैं उसकी शादी होते नहीं देख पाया।

-तारा चंद
मृतक राजकुमारी के पिता

सेंट्रल रिज को साफ हवा देने को किया जा सकता है पोषित : कोर्ट

जासं, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने को कहा कि सेंट्रल रिज क्षेत्र में किए गए पौधारोपण का उद्देश्य वहां जावरन पशुओं के घुसने के कारण जाया नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने कहा कि रिज को शहर के लिए साफ हवा प्रदान करने के रूप में अच्छी तरह से पोषित किया जा सकता है। पीठ ने नोट किया कि चार वर्षों में अदालत के आदेशों पर क्षेत्र में लगभग 46000 पौधे लगाए गए हैं। प्राधिकरण के तहत अधिसूचित हरित क्षेत्रों में आने वाली कठिनाइयों को तुरंत दूर करने की आवश्यकता है। पीठ ने इसके साथ ही शुक्रवार को होने वाली अगली सुनवाई पर डीडीए के निदेशक (बागवानी) को उपस्थित रहने को कहा ताकि हरित आवरण को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में अदालत को अवगत करा सकें। यह सुनिश्चित करें कि डीडीए के प्रबंधन के तहत वन भूमि और सेंट्रल रिज में किए जा रहे कायाकल्प अभ्यास को नुकसान न हो।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS हिन्दुस्तान DATED 13/05/2022

दिल्ली को तहस-नहस कर रहा भाजपा का बुलडोजर : आप

आरोप

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर गुरुवार को आप ने भाजपा पर हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा शासित एमसीडी दिल्ली को तहत-नहस करने के लिए बुलडोजर लेकर निकली है। दिल्ली के 63 लाख लोगों को बेघर करने की तैयारी है।

आप प्रवक्ता व विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 15 वर्षों से भाजपा शासित एमसीडी ने पहले अवैध निर्माण होने दिए। अब उसे तोड़कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारी मांग है कि यह तोड़फोड़ की कार्रवाई रुके। दिल्ली में एमसीडी चुनाव हों। उसके बाद तय होगा कि क्या कार्रवाई होगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीते 15 दिनों से निगम और दिल्ली पुलिस ने बुलडोजर लेकर अराजक स्थिति पैदा कर दी है। हम भी अनधिकृत निर्माण के खिलाफ हैं। दिल्लीवाले भी नहीं चाहते कि अनधिकृत निर्माण हों। मगर पिछले 15 वर्षों से एमसीडी में भाजपा का शासन है। उसके पार्षद हैं। भाजपा के ही महापौर हैं। फिर ये अवैध निर्माण, सरकारी जगहों पर कब्जा किसने कराया। साफ है कि कब्जे न हों यह भाजपा की जिम्मेदारी थी।

अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि हम चाहते हैं कि जिन पार्षद, अधिकारी या महापौर के कार्यकाल में ये अनधिकृत निर्माण हुए हैं पहले उनपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के जिन नेताओं, पार्षदों ने कब्जा किया है या अवैध निर्माण किया है पहले उनपर कार्रवाई हो। हम मांग करते हैं कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव कराए जाए। जो नई एमसीडी में आएगा वह तय करेगा कि कहां बुलडोजर चलेगा, कहां नहीं।

पहले क्यों नहीं की गई कार्रवाई : दिल्ली के अंदर 50 लाख की आबादी कच्ची कॉलोनी में रहती है। कॉलोनी जब कट रही थी, तब एमसीडी को नहीं दिखाई दिया था। निर्माण हुआ तब एमसीडी अधिकारी व पार्षद की नजर नहीं आया। अब उसी अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाली 50 लाख की आबादी को बेघर करने की योजना बना रहे हैं। झुग्गी क्लस्टर में रहने वाले 10 लाख लोगों को बेघर करने की योजना बनाई गई है। यही नहीं, डीडीए फ्लैट जिसमें किसी ने बॉलकनी में कुछ बना लिया, इस तरह 3 लाख लोगों पर भी बुलडोजर चलाएंगे।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI • FRIDAY, MAY 13, 2022

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 13 मई 2022 www.delhi.nbt.in

झंडेवालान। नारायणा। मौजपुर। नियांवली। कालकाजी। नांगल राया। सरिता विहार। प्रीत विहार। वसंत विहार। ⇨⇨

'कटने वाले हर पेड़ के बदले 2 पौधे लगाने का हो नियम'

डीडीए ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर की है अपील

■ विस, नई दिल्ली : मॉनसून से ठीक कुछ समय पहले डीडीए ने दिल्ली सरकार से अपील की है कि वह अपने क्षतिपूर्ति पौधे लगाने के नियमों में बदलाव करे। डीडीए के मुताबिक अभी एक पेड़ काटने पर उसकी एवज में 10 पौधे लगाने होते हैं, लेकिन अब इसे बदलकर दो पौधे तक सीमित करने चाहिए। राजधानी में पौधे लगाने के लिए जगह नहीं बची है। हालांकि एक्सपर्ट इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि अभी राजधानी में यह स्थिति नहीं आई है कि इस नियम में बदलाव किए जाएं।

क्षतिपूर्ति पौधे लगाने के नियमों के तहत अभी कटने वाले एक पेड़ की जगह 10 पौधे लगाने पड़ते हैं

गौरतलब है कि दिल्ली प्रिजेर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट, 1994 के तहत एक पेड़ काटने के बदले उसकी जगह 10 पौधे लगाने होते हैं। मई 2022 में डीडीए ने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी से इस मुद्दे को देखने की अपील की है। इस पत्र में कहा गया है कि क्षतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के तहत एक पेड़ काटने की एवज में 10 की बजाय 2 पौधे लगाने का नियम किया जाना चाहिए। पत्र में यह भी लिखा गया है कि मास्टर प्लान में जो भी जगह रिक्रिएशन ग्रीन एरिया के तौर पर चिह्नित की गई थी, वहां अब क्षतिपूर्ति पेड़ काफी अधिक लग चुके हैं। इतना ही नहीं पिछले कुछ दशकों में डीडीए ने जंगल का कोई नया अधिग्रहण भी नहीं किया है। इसके चलते अब यह काफी मुश्किल हो रहा है कि विभिन्न एजेंसियों को क्षतिपूर्ति पौधों के लिए जगह उपलब्ध कराई जा सके। विभिन्न एजेंसियों से इस तरह के काफी अधिक आवेदन डीडीए में आ रहे हैं। यही वजह है कि इस पॉलिसी को रिवाइज किया जाए। अब यह डीडीए के लिए संभव नहीं है कि यह क्षतिपूर्ति पेड़ों के साथ राजधानी में आने वाले विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अलॉट कर सके। डीडीए ने इससे पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से भी मंजूरी मांगी है कि वह क्षतिपूर्ति पेड़ों के लिए पड़ोसी राज्यों में जगह तलाशने की इजाजत दे। मंत्रालय से भी डीडीए अप्रैल की जा चुकी है कि फॉरेस्ट कन्सर्वेशन एक्ट, 1980 में छूट दे, ताकि क्षतिपूर्ति पौधारोपण दूसरे राज्यों में हो सके।

पेड़ों को बचाने की मुहिम पर काम कर रहे एक्टिविस्ट प्रमोद महाजन ने बताया कि अभी राजधानी में यह स्थिति नहीं आई है कि क्षतिपूर्ति पेड़ों की स्कीम में बदलाव हो। सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाकर हरियाली बढ़ाई जा सकती है। दूसरे राज्यों में क्षतिपूर्ति पौधे लगने से राजधानी भविष्य में अधिक प्रदूषित होगी और यहां पेड़ सिमटते जाएंगे।

'Baseless' campaign to extort Delhiites, says AAP; BJP strikes back

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: AAP on Thursday alleged that the BJP-run municipal corporations had been terrorising people with "baseless demolition orders" to extort money from them.

AAP chief spokesperson Saurabh Bharadwaj claimed that an action plan prepared by South Delhi Municipal Corporation for the demolition drive had names such as Malviya Nagar, Chirag Dilli, Vasant Kunj, Qutub Institutional Area, Gautam Nagar and Saket, where no settlement of "Rohingyas and Bangadeshis" existed.

"If (Delhi BJP chief) Adesh Gupta believes that Bangladeshis and Rohingyas reside at these places, it is high time he gets mental treatment. He is more than welcome to Chirag Dilli where people are willing to treat him for free," Bharadwaj said.

Demanding that Bharadwaj apologises to Gupta, Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor said, "The undignified words AAP MLA Saurabh Bharadwaj used for the Delhi BJP president clearly shows how poor is his political and family grooming."

Bharadwaj also alleged that BJP was "bent on destroying the entire Delhi" in the name of clearing unauthorised constructions. The "absurd" list of locations, he added, gives the impression that Gupta and his team that issued the demolition order don't live in Delhi.

"These absurd orders have helped us prove that the entire drive is simply for the sake of extortion and pocketing crores," Bharadwaj alleged, adding, "It aims to terrorise people of Delhi, pressure them into paying up, and threatening those who refuse with a bulldozer."

He also alleged that the corporations wanted to uproot the lives of 63 lakh people living in unauthorised colonies, slum clusters and DDA houses. "These illegal constructions came up during the 15 years when BJP governed the municipal corporations. These bulldozers should first be run over the homes of those civic officers, BJP councillors and mayors who have enabled these unsanctioned constructions by committing flagrant corruption," Bharadwaj claimed.

Kapoor said, "The way AAP functionaries are reacting to the anti-encroachment drive shows that it is affecting their political supporters. The effect of the bulldozer acting against Bangladeshis and Rohingyas is clearly visible in the minds of AAP functionaries who are losing control over their speech and have started addressing their BJP opponents in the most undignified language."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
DELHI

भाजपा शासित एमसीडी दिल्ली तबाह करने जा रही: भारद्वाज

उनके मकान तोड़ें जिन्होंने रिश्वत ले निर्माण करवाए

[illegible]

पंजाब केसरी
DELHI

DATE

ई गवर्नेंस से डिजिटल हुए डीडीए के काम

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): [illegible]

millenniumpost
NEW DELHI | FRIDAY, 13 MAY, 2022

HC: Ensure afforestation in Central Ridge not defeated by cattle intrusion

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The High Court here has asked the Delhi Development Authority to ensure the afforestation and tree-plantation carried out in the Central Ridge area is not defeated by cattle intrusion, saying the ridge could well be nurtured as a green lung for the city.

Justice Najmi Waziri noted that approximately 46,000 trees have been planted in the area under court orders in the past about four years, and added that difficulties being faced in the notified green areas under the authority need to be addressed immediately.

The stationing of cattle inside the forest area itself is a self-defeating exercise by the Forest Department and the DDA, it said.

The court sought the presence of the Director (Horticulture), DDA on the next date to apprise it about the steps taken to ensure and augment the green cover.

The court said it has to be ensured that no harm is caused to the tree plantation and the rejuvenation exercise being carried out in the Central Ridge in forest land and areas under DDA's management.

Therefore, DDA shall ensure that the exercise undertaken under the directions of this court for afforestation/tree plantation in the Central Ridge, is not defeated by intrusion of cattle into land under its management, the court said in a recent order. It asked the DDA director concerned to coordinate with the DCP and other agencies as may be required for ensuring that the cattle are removed from the area under DDA's care. Assistance in this regard shall be provided by Deputy Commissioner of Police promptly.

It is a matter of record that more than a quarter of a million of trees have been planted in the forest areas i.e., in the Central Ridge (approximately 46,000 trees) and the Southern Ridge (about 2,10,000 trees) under court orders in the past about four years, through costs imposed upon the parties in hundreds of cases.

Happily, some of the trees have attained a height of 27ft. The survival rate of the trees is said to be 100% in the areas under the management of the Forest Department, GNCTD. The flora and fauna status is said to have improved significantly.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS— अमर उजाला ——DATED— 13-05-2022

हमलावर हुई आप... कहा- दिल्ली को तबाह करने में जुटी है भाजपा

अमर उजाला ब्यूरो

आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने लगाया आरोप

बोले- पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के घर का अतिक्रमण हटवाया जाए

सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि अनधिकृत निर्माण साफ करने के नाम पर भाजपा पूरी दिल्ली तबाह करने में लग गई है। भाजपा शासित नगर निगम लगभग 63 लाख लोगों को बेघर करना चाहता है। आधी से ज्यादा दिल्ली में अनधिकृत निर्माण है। इस तरह आधी से ज्यादा दिल्ली तोड़ी जाएगी। उन्होंने मांग की है कि पहले उन नेताओं के मकान तोड़े जाएं, जिन्होंने पैसे लेकर ये अनधिकृत निर्माण करवाए हैं।

भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 15 दिन से नगर निगम व दिल्ली पुलिस मिलकर कई जगह बुलडोजर लेकर उतरी हुई है। उन्होंने पूरी दिल्ली को तहस-नहस करने की ठान ली है। हम ही नहीं, बल्कि दिल्ली निवासी भी अनधिकृत निर्माण के खिलाफ हैं और कोई भी नहीं चाहता कि अनधिकृत निर्माण हो। सवाल उठता है कि पिछले 15 साल में यह अनधिकृत निर्माण और अनधिकृत कब्जे किसने करवाए हैं?

उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब 50 लाख लोग अवैध कालोनियों में रहते हैं। ये कालोनियां बसाने और उनमें निर्माण होने के दौरान भाजपा शासित नगर निगम के अधिकारियों, पार्षदों और भाजपा के बड़े नेताओं तक को पैसे दिए गए। इसके अलावा सैकड़ों झुग्गी क्लस्टर में करीब 10 लाख आबादी रहती है। तीन लाख आबादी वाले डीडीए के फ्लैट हैं, उनमें भी किसी न किसी बालकनी में थोड़ा सा निर्माण हुआ है। किसी ने कमरा अलग से बनाया है। किसी ने नीचे पिलर बनाया है। ऐसे कई कारणों से इन इलाकों में भी नगर निगम तोड़फोड़ कर सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर अनधिकृत निर्माण हुआ है और सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। उनके घर पर बुलडोजर सबसे पहले चलना चाहिए।

भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने रोहिंग्या-बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए बुलडोजर चलवाने का दावा किया है, जबकि मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल रोड, मालवीय नगर, कुतुब इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र, गौतम नगर, प्रीमियर साकेत डी ब्लॉक, अर्जुन गढ़ मेट्रो स्टेशन, वसंत कुंज, एमजी रोड, छतरपुर, भीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन के आसपास, शिव पार्क खानपुर, एसएसएन मार्ग, चिराग दिल्ली गांव में भी बुलडोजर चलाने का कार्यक्रम तय किया है।

उन्होंने सवाल किया कि क्या इन इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। यहां आकर भी अगर बांग्लादेशी रहने लगे तो भाजपा को केंद्र सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए।

असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे भारद्वाज : कपूर

प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि बांग्लादेशी व रोहिंग्या अतिक्रमणकर्ताओं पर बुलडोजर चलने का असर आम आदमी पार्टी नेताओं के दिल दिमाग पर पड़ गया है। इस कारण वह बोलचाल का लहजा खो बैठे हैं और भाजपा नेताओं पर असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने जिन अमर्यादित शब्दों में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष को संबोधित किया वह उनके केवल राजनीतिक पोषण की कमी ही नहीं, बल्कि पारिवारिक संस्कार पोषण कमी को दर्शाता है।